

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 1 मई 2025 गुरुवार

सम्पादकीय

मजदूरों की दशा— दिशा

युद्धरत दुनियाँ के समय में विश्व के मजदूरों की आवाज कौन सुने। अब उनके पास कुल मिलाकर एक मई की तारीख बची है जब उनका समूह अपनी पीड़ा को साझा कर सके। मजदूर दिवस ऐसा दिन है जो मजदूरों को एक साथ जोड़ता है और उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाता है जब वे एकता में काम करते हैं। श्रमिक अक्सर उपेक्षित महसूस करते हैं, खासकर तब जब वे बहुत मेहनत या भावनात्मक और शारीरिक रूप से थका देने वाला काम करते हैं। काश सरकारों और समाज उनके दर्द, भावनाओं को समझ पाता। इन्हीं मुश्किल दौर में हल निकालने होंगे।

कार्ल मार्क्स का कथन 'दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ' वर्तमान भारत में भी प्रासंगिक है। इस साल की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। सारा विश्व वर्तमान समय में कठिनायियों के दौर से गुजर रहा है। 1792 के पहले फ्रांस में शोषण के जाल में फँसे मजदूरों जैसी स्थिति में भारत के मजदूर भी हैं। भारत में मजदूरों का यह नीति आधारित शोषण कहीं ठेकेदारों द्वारा, तो कहीं निजी क्षेत्र में हो रहा है। सरकारी नीतियों भी व्यवस्था में उन्हें समानता नहीं प्रदान कर रही हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांस की स्थिति आज के भारत जैसी ही थी। मजदूरों के लिए न तो श्रम कर के समय सीमा तय थी न ही यह तय था कि उन्हें कम से कम कितनी मजदूरी मिलेगी। मजदूर सामंतों और जमींदारों और व्यापारियों के शोषण का शिकार हो रहे थे।

मेहनतकशों की दुनिया में फँसे असंतोष को देखते हुए पहले ब्रिटेन ने 1896 में फ़ैक्टरी कानून बनाया जिसमें यह बताया गया है कि एक मजदूर को एक सप्ताह या एक दिन में कितने घंटे श्रम करना होगा। इसी के साथ काम के ऐवज में न्यूनतम मजदूरी का विचार भी आया। भारत में यह कार्य 1948 में हो सका जब यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। लेकिन यहाँ का मजदूर आज भी अपने हिस्से की न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी देने की बात की है। इन बिंदुओं में परिवार का आकार, कपड़ों की आवश्यकता, आवास, भोजन, ईंधन, रोशनी और अन्य खर्चों को देखते हुए मजदूरी निर्धारण की बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि न्यूनतम मजदूरी में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक समारोह आयोजन करने की क्षमता और वृद्धों की जरूरत को पूरा करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की भेंट की 25 फीसद राशि और जोड़ी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि नियोजकों को हर परिस्थिति में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपना व्ययसाय बंद कर देना चाहिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी कादूत एक एक सवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने का जरिया माना गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पीसीआर बनाम भारतीय संघ के एक मामले में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न किए जाने को बेगार के बराबर माना है। उल्लेखनीय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद-23 के तहत इस पर रोक है। यह कानून व्यावहारिक प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद-226 की परिधि में आ जाता है जिनमें व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं।

रोजगार गारंटी अधिनियम एक प्रभावशाली कानून है पर इसमें अतिमिथताएँ व्याप्त हैं। सरकार ने अपने नए प्रावधानों में अपने हर कर्मचारी अप्सर के लिए न्यूनतम 15000— 90000 निर्धारित करती है। वहीं सरकार मजदूर के लिए साल के सिर्फ 100 दिन का काम तय करती है। इसमें यह देखने वाले लोग हैं कि मजदूरों ने कितना काम किया। जबकि मोटे वेतनों पर कार्यरत सरकारी लोगों से यह कोई नहीं पूछता। क्या अनपढ़ मजदूरों पर यह दबाव उचित है? वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था— 'खेतों और फ़ैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार है कि ही एक वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके...'। पर आज आजादी के 6 दशकों बाद भी मजदूरों की वास्तविक स्थिति क्या है यह किसी से छिपी नहीं है। उम्मीद और संघर्ष जारी रखिये। उम्मीदों का सूरज जरूर निकलेगा।

हाशिये पर भारत के मजदूर: शोषण के साए में विकास



—डॉ. सत्यवान सौरभ—

बदलते दौर में जब तकनीक, पूँजी और ग्लोबल की दुनिया भारत को चमकता दिखाता है, तब देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो उस चमक की नींव बनाता है लेकिन खुद अंधेरे में घुटता रहता है। यही तबका है कृ दिहाड़ीदार मजदूर। जिनकी बदौलत गगनचुम्बी इमारतें खड़ी होती हैं, सड़कों पर रफ्तार दौड़ती हैं, और शहर सांस लेता है। परन्तु विडंबना यह है कि इन मजदूरों के जीवन में न तो स्थिरता है, न सुरक्षा, न पहचान और न ही संवेदनशीलता।

दिहाड़ीदार मजदूरों की दुर्दशा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक उच्छा और संस्थागत असफलताओं की भी उपज है। कोविड-19 महामारी हो या हालिया शहरी आपदाएँ, सबसे पहला और सबसे गहरा आघात इसी वर्ग को झेलना पड़ा। रोज़ कामने-खाने वाले इन श्रमिकों के लिए लोकडाउन और आर्थिक मंदी ज़िन्दगी-मरण का प्रश्न बन गई। सरकारी घोषणाओं में इनके नाम भले दर्ज़ हों, पर न आंकड़ों में इनका कोई मरसेलेट रिपोर्ट है, न योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी प्राथमिकता।

भारत का श्रमबल लगभग 600 मिलियन है, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अनीयवार्थिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। शहरी भारत की लगभग 72 प्रतिशत कार्यशक्ति दिहाड़ी श्रमिकों के रूप में काम कर रही है। यह



'जिन हाथों ने इस देश की इमारतें खड़ी कीं, उन्हीं हाथों को आज रोटी, छत और पहचान के लिए जूझना पड़ रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर केवल श्रम नहीं देते, वे इस देश की नींव हैं लेकिन सबसे उपेक्षित भी। विकास की रफ्तार में उनका पसीना झलकता है, पर उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। क्या यही है 'नए भारत' का सपना जहाँ श्रमिक अनदेखे, अनुसूचे और असुरक्षित रहे?'

'बैकएंड इंडिया' जिसे कोई नहीं देखता, 'फ्रंटएंड इंडिया' की रफ्तार बनाए रखने के लिए दिन-रात खटता है। यह वर्ग न केवल भारत की, बल्कि रिंगपुर, दुबई और खाड़ी देशों की आधुनिकता की नींव भी है। लेकिन विडंबना है कि इन मजदूरों पर नज़र नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई स्थायित्व नहीं केवल मेहनत और उपेक्षा मिली है।

भारत में मजदूरों की लड़ाई कोई नई नहीं है। ब्रिटिश काल में रॉय मिल मजदूर आंदोलन (गिरनी कामगार आंदोलन) से लेकर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (पन्च) की स्थापना तक, मेहनतकशों ने संगठित होकर अपने हक की

मौन हो जाता है। इनके लिए न पर्याप्त जल-स्नान की व्यवस्था है, न सुरक्षित आवास, न शुद्ध पेयजल, न स्वास्थ्य सेवाएँ। हाथ धोने की सलाह दी जाती है, पर इनके लिए हंडपंप भी अविश्वसनीय होते हैं। बीमार हों तो अस्पताल की कतार में कोई नाम नहीं, बैंक हो तो खाता नहीं, और श्रम हो तो मान्यता नहीं। संक्रमण, अस्वास्थ्यकर माहौल और मानसिक शोषण की तीव्ररी मार इन पर हर रोज़ पड़ती है।

इन मेहनतकशों में बड़ी संख्या महिला श्रमिकों की है। कृ निर्माण स्थलों पर ईंट ढोती, घरों में बर्तन माँजती, खेतों में पसीना बहाती, और फिर घर लौटकर बूझ-चौका भी सगाँवती। इनके पास न मातुल आवश्यकता है, न यौन उद्दीप्तन से सुरक्षा, न ही समान वेतन की गारंटी। सबसे दुखद यह है कि महिला मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अक्सर अछूत मान लिया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब शहरों में लोकडाउन लगा, तब सड़कों पर नंगे पाँव, भूख-प्यास हजारों किलोमीटर पैदल उनके अधिकारों का आता है तो तब

लौटते प्रवासी मजदूरों की तबकी

समरस भारतीय समाज से हल हाँगी मुश्किलें



—विश्वनाथ सचदेव—

जम्मू-कश्मीर के पहलवानों में जो कुछ हुआ है, उसने जहाँ एक ओर साँसे दूध को हिला कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर सारी मनुष्यता को भी शर्मसार कर दिया है। जिस नृशंसता और क्रूरता के साथ बैरसन में आतंकवादियों ने निरपराध सैलानियों का वृत्त बध्या है उससे भारत ही नहीं, दुनियाभर के शान्ति-प्रिय लोग व्यथित हैं। यह व्यथा तब तक नहीं मिटेगी, जब तक मनुष्यता के खिलाफ अपराध करने वालों को उनके किये की ही सुविधा नहीं मिलेगी जहाँ मिल जाती है। ग्रेवहा-काण्ड के सात दिन बाद तक अपराधियों का न पकड़ा जाना जरूर कुछ निराश करता है, पर इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि अराजकी शीघ्र ही अपने किये की सजा पायेगा। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।

छिछले एक अरसे से कश्मीर की घाटी अंधेराकृत शांत थी। उम्मीद की जा रही थी कि स्थिति लगातार बेहतर होगी, पर इस हत्या-काण्ड ने इसे उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फिर भी, इस हत्या-काण्ड पर दुनियाभर में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, वह आवश्यक करने वाली है। सुवात यह उठता है कि जिस तरह से इस तरह काण्ड को रचा गया है उससे आतंकवादियों के मंत्र्यों के बारे में हम कितना कुछ समझ रहे हैं। जिस तरह नाम पूछ कर, कलमा पढ़ा कर और काफ़े उतरवा कर निरपराध सैलानियों को मारा गया है, उससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आतंकवादी कुछ लोगों को, या बहुत सारे लोगों को, मार कर सिर्फ आतंक ही फैलाना नहीं चाहते थे, उनका असली उद्देश्य भारतीय समाज को बाँटना का था।

कश्मीर में, और शेष भारत में, इस हत्या-काण्ड पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, वह आवश्यक करने वाली है। कुल मिलाकर कश्मीर से लेकर पायंकुमारी तक और असम



जिस हत्या-काण्ड की मर्तसना करते हुए जम्मू-काण्ड की उनके पास की आवाज उठा रहा है। लेकिन, ऐसे तत्व भी हैं समाज में जो इन आशंकाओं को बन दे रहे हैं कि कहीं हम उन आतंकवादियों के पक्षज का विकास न बन जायें जिनका मुख्य उद्देश्य हमें धर्म के नाम पर बाँटना ही है। लेकिन जब तक हमारी बीमारी का हुरेनशाह अथवा 'नजाहत चाचा' जिंदा है, तब तक एक समरस भारतीय समाज बनने की हमारी आशा भी जिंदा रहेगी।

जी हाँ, आदित्य हुरेनशाह और नजाहत उन कश्मीरीयों के नाम हैं जिन्होंने उन पर खेल कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि इस्लामियत और उम्मीद अभी जिंदा है। कश्मीर में नृशंस हत्याकाण्ड शुरू होने के कुछ ही मिनट पहले नजाहत उन सैलानियों के बच्चों के साथ खुले हाथ जा जिन्हें वह पहलवान समझने लाया था। खेल-खेल में जब सैलानियों के तीन-चार साल के बच्चे ने अपने परिवार के 'गाइड' को नज़ाहत नाम से पुकारा तो नजाहत के पिता ने ठेकेते हुए कहा था, 'नजाहत नहीं, नजाहत चाचा को बेटा'। और इस नजाहत चाचा ने उस परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कश्मीरी पोड़ोवाले आदित्य हुरेन शाह तो बलिवान ही है। गया अतंक की फैलाने वाली चाहते थे, उनका असली उद्देश्य भारतीय समाज को बाँटना का था।

जम्मू-कश्मीर के मध्यमंजी उमर अब्दुल्ला ने वहां की विधानसभा में

आतंकियों के इरादों के पूरा होने के मददगार ही सिद्ध होंगे हम। आतंकवादियों, पाकिस्तान में बैठे उनके आका और पाकिस्तानी सेनाध्वज जैसे तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर यही चाहते हैं कि पंथ-निरपेक्षता में विश्वास करने वाला भारतीय समाज बंट जाये, कमजोर हो जाये। पंथ-निरपेक्षता और धार्मिक विविधता हमारी ताकत है। आतंकियों के इरादों को न समझ कर, अंधा चलत समझ कर, हम अपनी नासमझी को नहीं, अपनी नानादी की ही परिचय देंगे। और यह नानादी किसी अंधराध से कम नहीं होगी।

हमें इस बात की भी ध्यान रखना है कि धर्म के नाम पर समाज को बाँटने वाली ताकतें कमजोर नहीं हो, अभी जिंदा हैं। इन ताकतों की पहचाना, और उन्हें फिल वलाना, हमारे अस्तित्व की शर्त है। हमें इस शर्त पर खरा उतरना ही होगा। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, या किसी और धर्म को मानने वाला, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मूलतः धर्म में मनुष्य हूँ। यहाँ मैं गैलतकर गोपालदास नीरज की उस कविता को याद करना चाहता हूँ, जिन्में उन्होंने कहा था, 'अब तो कोई मजबूत ऐसा भी बलाया जाये, जिसमें ईसान को ईसान बनाया जाय'।

आदित्य और नजाहत इसी ईसान के नाम हैं। हम अपने भीतर के इस ईसान को ज़िदा रखना होगा। इसके लिए सतत जागरूकता और सतत प्रयास की आवश्यकता है। बाँटने वाली ताकतें कमजोर भले ही हों, पर शैतानियत का पुतला होती है। पर शैतानियत को हरा कर ही हम ईसानियत को ज़िदा रख सकते हैं। ईसानियत का ताकजा है कि हम बाँटने वाली ताकतों के हाथों का खिलाटना न बनें। नाम पूछ कर गोरी चला देने वाला मनुष्यता का अपराध है, नाम पूछकर सामाजिक बहिष्कार करने वाली मानसिकता भी उतनी पर नाबरी नहीं है। आतंकियों से बदला लेना जरूरी है, पर समाज ही जरूरी यह भी है कि हम उनका जेनरल तत्वों की पहचान करके उन्हें परास्त करने का संकल्प लें जो एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान को धुंसा बनाने की कोशिश में लगें हैं। ऐसा न करने या न कर पाने का मतलब है आतंकियों के इरादों को पूरा करने में मदद करना। आतंकियों के इन इरादों को हरा कर ही हम जीत सकते हैं—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पूरे देश को झकझोर गईं। जिन हाथों ने शहर बनाए, वे ही सबसे बेगाने हो गए। सरकारें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहीं, और ये मजदूर अपने गाँवों की ओर लौटते हुए ट्रेन की पटरी तक पर जान गंवाते रहे।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कृ इनकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? सरकारें जो केवल चुनावी मौसम पर जिनमेदारी डालती रहीं, और ये मजदूर अपने गाँवों की ओर लौटते हुए ट्रेन की पटरी तक पर जान गंवाते रहे।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कृ इनकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? सरकारें जो केवल चुनावी मौसम पर जिनमेदारी डालती रहीं, और ये मजदूर अपने गाँवों की ओर लौटते हुए ट्रेन की पटरी तक पर जान गंवाते रहे।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कृ इनकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? सरकारें जो केवल चुनावी मौसम पर जिनमेदारी डालती रहीं, और ये मजदूर अपने गाँवों की ओर लौटते हुए ट्रेन की पटरी तक पर जान गंवाते रहे।

जीवन प्रत्याशा और तपिषा की मार

—ज्ञानेन्द्र रमावत—

देश इन दिनों हीटवेब की चपेट में है, जिसकी तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। क्लाईमेटिक की नई रिपोर्ट के अनुसार, 1950 से अब तक की तुलना में वर्तमान हीटवेब औसतन बार छिड़ी सेल्सियस अंक का गर्म हो चुकी है। यह अंतर प्रचुरीय मौसम एजेंसी कार्पनरिस्क के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आया है। अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा उष्ण लहरें पहले की तुलना में अधिक घातक हैं और इसके लिए मुख्य रूप से मानव जनित जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है, जो अब मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हीटवेब की तीव्रता में वृद्धि के पीछे मानव जनित जलवायु परिवर्तन है। भारत में हीटवेब के खयाल—वर्षा—संघर्ष संचयी कई बदलाव देखे गए हैं, जैसे सख्त के वायु दबाव में वृद्धि, बहाओं की गति में कमी, तापमान पैटर्न में बदलाव और नमी में वृद्धि। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 80 वर्षों में गैलतकर गोपालदास नीरज की उस कविता को याद करना चाहता हूँ, जिन्में उन्होंने कहा था, 'अब तो कोई मजबूत ऐसा भी बलाया जाये, जिसमें ईसान को ईसान बनाया जाय'।

आदित्य और नजाहत इसी ईसान के नाम हैं। हम अपने भीतर के इस ईसान को ज़िदा रखना होगा। इसके लिए सतत जागरूकता और सतत प्रयास की आवश्यकता है। बाँटने वाली ताकतें कमजोर भले ही हों, पर शैतानियत का पुतला होती है। पर शैतानियत को हरा कर ही हम ईसानियत को ज़िदा रख सकते हैं। ईसानियत का ताकजा है कि हम बाँटने वाली ताकतों के हाथों का खिलाटना न बनें। नाम पूछ कर गोरी चला देने वाला मनुष्यता का अपराध है, नाम पूछकर सामाजिक बहिष्कार करने वाली मानसिकता भी उतनी पर नाबरी नहीं है। आतंकियों से बदला लेना जरूरी है, पर समाज ही जरूरी यह भी है कि हम उनका जेनरल तत्वों की पहचान करके उन्हें परास्त करने का संकल्प लें जो एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान को धुंसा बनाने की कोशिश में लगें हैं। ऐसा न करने या न कर पाने का मतलब है आतंकियों के इरादों को पूरा करने में मदद करना। आतंकियों के इन इरादों को हरा कर ही हम जीत सकते हैं—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

रिपोर्टनुसार, हीटवेब की तीव्रता में वृद्धि के पीछे मानव जनित जलवायु परिवर्तन है। भारत में हीटवेब के खयाल—वर्षा—संघर्ष संचयी कई बदलाव देखे गए हैं, जैसे सख्त के वायु दबाव में वृद्धि, बहाओं की गति में कमी, तापमान पैटर्न में बदलाव और नमी में वृद्धि। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 80 वर्षों में गैलतकर गोपालदास नीरज की उस कविता को याद करना चाहता हूँ, जिन्में उन्होंने कहा था, 'अब तो कोई मजबूत ऐसा भी बलाया जाये, जिसमें ईसान को ईसान बनाया जाय'।

आदित्य और नजाहत इसी ईसान के नाम हैं। हम अपने भीतर के इस ईसान को ज़िदा रखना होगा। इसके लिए सतत जागरूकता और सतत प्रयास की आवश्यकता है। बाँटने वाली ताकतें कमजोर भले ही हों, पर शैतानियत का पुतला होती है। पर शैतानियत को हरा कर ही हम ईसानियत को ज़िदा रख सकते हैं। ईसानियत का ताकजा है कि हम बाँटने वाली ताकतों के हाथों का खिलाटना न बनें। नाम पूछ कर गोरी चला देने वाला मनुष्यता का अपराध है, नाम पूछकर सामाजिक बहिष्कार करने वाली मानसिकता भी उतनी पर नाबरी नहीं है। आतंकियों से बदला लेना जरूरी है, पर समाज ही जरूरी यह भी है कि हम उनका जेनरल तत्वों की पहचान करके उन्हें परास्त करने का संकल्प लें जो एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान को धुंसा बनाने की कोशिश में लगें हैं। ऐसा न करने या न कर पाने का मतलब है आतंकियों के इरादों को पूरा करने में मदद करना। आतंकियों के इन इरादों को हरा कर ही हम जीत सकते हैं—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अयोध्या हनुमानगढ़ी में टूटी 121 साल पुरानी परंपरा रामलला का दर्शन करने राम मंदिर पहुंचे महंत

संवाददाता-अयोध्या। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बुधवार को हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास ने 121 साल पुरानी परंपरा को संतो की सहमति के बिना ही तोड़ दिया। इसका संथा ही हनुमानगढ़ी का कोई गद्दीनशीन महंत 1904 के बाद पहली बार 52 बीघे की परिधि से बाहर निकला है। महंत प्रेमदास ने न सिर्फ रामलला का दर्शन किया बल्कि राम मंदिर की अंतरंगुही परिक्रमा भी की शुभारम्भ किया है।

राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार वीथीआईपी के लिए परिक्रमा खोली गई है। गद्दीनशीन महंत सहित साथ संतो-महंतों ने भगवान के साथ परमेश्वर सनो का पाठ किया। रामलला को 56 भोग भी लगाया गया। इससे पहले हनुमानगढ़ी अखाड़े के निशाचर महंत गद्दीनशीन महंत प्रेमदास राम मंदिर की नगर में शोभायात्रा निकाली गई। इसका जगह-जगह स्वागत हुआ।

हनुमानगढ़ी की निशामाली के अनुसार गद्दीनशीन पद पर प्रतिष्ठित



महंत आजीवन परिसर के 52 बीघे की परिधि के बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसी नियम के कारण महंत प्रेमदास राम मंदिर के निर्माण के बाद भी रामलला के दर्शन नहीं कर सके और दर्शन पात्र के लिए लालायित थे। पिछले दिनों महंत की इच्छा को लेकर निवासी अखाड़े के पंथों ने बैठक की और सर्वसम्मति से दर्शन की अनुमति दे दी। तब हुआ को अक्षय तुलसी के पान मीके पर महंत रामलला के दर्शन किया।

तब कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को अखाड़े के निशाचर के साथ गाजा-बाजा के साथ महंत की शोभायात्रा राम मंदिर के लिए रवाना हुई।

इस दौरान अखाड़े के नागा संत व शिष्य श्रद्धालु भी शामिल रहे। हनुमानगढ़ी से शोभायात्रा पहले सरपु तट पहुंची। यहां गद्दी नशीन महंत और अन्य नागा संतो मां सरपु का पूजन किया। इसके बाद शोभायात्रा राम मंदिर पहुंची। यहां भगवान का दर्शन कर महंत भाव विभोर हो गए।

हनुमान गढ़ी और राम मंदिर के बीच की दूरी केवल एक किलोमीटर

है। लेकिन, हनुमान गढ़ी से सुबह 6 बजे शुरू हुआ जुलूस सबसे पहले दो किलोमीटर दूर सरपु नदी के तट पर पहुंचा। निवासी अखाड़े के प्रमुख महंत रामकुमार दास ने बताया कि सरपु नदी पर पीठासीन महंत और दूसरे नागा साधुओं ने सरपु नदी के तट पर त्नाम किया। इसके बाद जुलूस राम मंदिर की ओर बढ़ा। दोपहर करीब 1 बजे जुलूस राम मंदिर से हनुमान गढ़ी वापस लौटा। इस तरह पूरा कार्यक्रम सट घंटे तक चला और जुलूस ने करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय की।

हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत के इस शर्त की मर्यादा का पालन सिविल कोर्ट भी करता है। किसी सिविल मुकदमा में गद्दीनशीन के बयान अखाड़े के मुख्तार ही प्रोकर के रूप में अदालत में हाजिर हो सकते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट स्वयं हनुमानगढ़ी आकर गद्दी नशीन का बयान दर्ज करती रही है। यह परम्परा 1904 से चली आ रही है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया

अखिलेश यादव का पुत्रा दहन
संवाददाता-सिद्धार्थनगर। दुमरासिद्धार्थनगर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुत्रा दहन किया। यह कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समान परितंत्रन चौक पर आयोजित किया गया। पूर्व किसान चेतना प्रदाता सिद्धार्थ ने केन्द्र के कार्यकर्ताओं ने विशेष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दलित विरोधी एं अखिलेश यादव मुंबई के नारे लगाए। रावेन्द्र प्रसाद सिंह ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मयावती के साथ हुआ रंग हाउस कांड और कर्नाटक मेंकैलक का नाम बदलने के नीचे घटनाएं साब्य सरकारी हैं हुई। उन्होंने को सबके बड़ा दलित विरोधी बताया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सापा प्रमुख डॉ. अंबेडकर के नाम पर केवल वोट चला चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम मेंलक्ष्मी ओझा, चंड प्रकाश अर्जु चंद चौधरी, ई. फर्माज वगैरे, दिलीप उग्र छोटे गण्डेय, लालजी बुक्का समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मान वास्ते करारवाद उम्मीर तकनीक तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय-श्रीमान सिविल जज (जुडिओ) महोदय बांसी जिला-सिद्धार्थनगर

राजामात्र
बनाम
शेष नारायण

1. शेष नारायण पुत्र शिवशंकर साकिन छपिया तपा कोइरी परगना बांसी पुरवा तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 20-05-2025

प्रतिवादी ने आपकी विरुद्ध के लिये वाद स्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 20-05-2025 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञा (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा उप संज्ञात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश लिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी साराजन प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे स्वयं प्रमाण का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संज्ञात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर परत वातादी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंज्ञात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी उपस्थिति में किया जाएगा।

यह आज तारीख मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

पुलिस ने दो वारंटी किए गिरफ्तार

संवाददाता-सिद्धार्थनगर। थाना बांसी पुलिस ने बुधवार को दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महानज के निदेश पर चलाए गए वारंटी गिरफ्तारी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पहला मामला वाद संख्या 37/18 से जुड़ा है, जिसमें 6 लाख 323 और 504 के तहत सिविल कोर्ट गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला वाद संख्या 1423/17 का है, जिसमें धारा 147 और 504 के तहत किसमती को हिरासत में लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तार किए गए शिवराज बस्तुपुर टोला घाटव्य के रहने वाले हैं। वहीं किसमती बूढ़ाआ के रहने वाले हैं। दोनों थाना बांसी क्षेत्र के निवासी हैं। गिरफ्तारी ने उपनिरीक्षक विजय पावसान, उपनिरीक्षक विजयकाश्या दीक्षित, मुख्य आरक्षी शंकर प्रसाद और महिला आरक्षी गीतावती कुमाराथ की टीम शामिल रही। यह पूरी कार्रवाई अगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, पुलिस उपनिरीक्षक बांसी न्याय क्षेत्र के निदेशन में की गई।

उद्घोषणा

थाना कोतवाली जिला बस्ती उओओ के मुओओओ 663/23 धारा 380/411 IPC व 16 ड आई.टी.एक्ट में फरार चल रहे वारंति अभियुक्त सदायम पुत्र मुख्तार खान निवासी (जुडिओ पोस्ट- टोलेबा थाना फाहपुर जिला गया रास बिहार के खिलाफ माओ न्यायालय C.J.M. जनपद बस्ती द्वारा न्यायांक 01-12-2023 का फैसला के समर्थ उपस्थित होने हेतु उद्घोषणा जारी की गई थी कि अभियुक्त सदायम पुत्र मुख्तार खान उपस्थित नहीं हुआ जिस पर सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कार्यवाही की जानी है।

अदालती नोटिस

सम्मान वास्ते करारवाद उम्मीर तकनीक तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय-श्रीमान वरुध अतिथि सिविल जज (जुडिओ) महोदय बस्ती जिला-बस्ती

वाद सं-325/2023

करिया आदि
बनाम
रामजीन आदि

1. रामजीन उग्र लगमग 65 वर्ष पुत्र भगवानदास 2 हरिश्चन्द्र उग्र लगमग 28 वर्ष 3. धुपचन्द्र उग्र लगमग 25 वर्ष 4. राम उग्र लगमग 24 वर्ष पुत्रलगम गंगादीन 5. सुनीता उग्र लगमग 47 वर्ष पत्नी रव्य गंगादीन साकिनना आमा तपा बिहपुर जिला बस्ती पूर्व तहसील भानपुर जिला बस्ती

—प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

6. दिनेश उग्र लगमग 35 वर्ष 9. रमेश उग्र लगमग 33 वर्ष 10. महेश उग्र लगमग 31 वर्ष 11. दुर्गा उग्र लगमग 30 वर्ष पुत्रराज विद्याराम साकिनना आमा तपा बिहपुर जिला बस्ती पूर्व तहसील भानपुर जिला बस्ती

—प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 22-05-2025

हमारे न आपके नाम लिखा बावत के दायर की है। नालिहा आपका 06 माह 05 सन 2025 ई0 बवस्त 10 बजे दिन आसलतय या माफकत कबील के जो मुकदमा के हालत से करार वादवा फैकिक किया गया हो और जो कुछ उम्मीर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालता का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपने इजहार के लिये मुकदमा है वारंती इन्फालिक्त कर्तुअ मुकदमा के तबीजिज हुई है और आपको लायिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिलको आप अपनी दस्तावेजदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इस्तिहाल दी जाती है कि अगर वारंती नमकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैरे हाजिर आपके मससुआ और फैसला होगा।

बवस्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतायेया माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—दो हाकिम

सीएम ने सुनी फरियाद, तय की निस्तारण की मियाद



संवाददाता-गोरखपुर। लिता सुनी और करीब 200 लोगों की समस्तपु मत्त करिए। आपकी समस्या को समर्थान करारों और यहां से वापस घर जाने का किराया भी देंगे। संवेदन के पुट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले इस आलीशान संवेल ने जमीनी विवाद की समस्या लेकर जनता दर्शन में आई महिला कृतज्ञता के साथ में करवद्ध हो गई। हुआ यू कि गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने जमीनी विवाद से जुड़ी समस्या मुख्यमंत्री को बताई। इस पर सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही का निर्देश देते हुए महिला को घरोंसा देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होता चाहिए। यह पीछे के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने हुए उसकी मदद की जाए।

हर बार की माति इस बार के जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज करेगी और मुकदमा करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तागत करके हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्तीफे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शायद में उपलब्ध कराया जाए। जनता दर्शन में कुछ लोगों के

साथ उनके बच्चे भी आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें दुलारकर आशीर्वाद और चौकलेट दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में अपने परिजनों के साथ गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने आए बच्चों पर खूब प्यार-दुलार बरसाया। उन्होंने इन बच्चों से खूब बातें की, हंसी-ठिठोली के बीच उनकी पहाड़ के बारे में जानकारी ली और फिर चौकलेट आशीर्वाद दिया।

गोरखपुर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह सीएम योगी मंदिर प्रवेश का भ्रमण करने निकले थे। भ्रमण के दौरान सीएम योगी नजर परिजनों के साथ आए बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने सबको अपने पास बुला लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बेहतर आलीशान तरीके से संवाद करने के साथ उत्तरी खरी के सीटी ठिठोली भी की। सबको चौकलेट देकर और सबके माथे पर हाथ फेरकर प्यार-दुलार, आशीर्वाद दिया। कुछ छोटे बच्चों को उन्होंने अपने हाथ से चौकलेट खिलाया। सीएम योगी ने बार माह के जुड़ावा बच्चों (भाई-बहन) को अपनी गोद में लेकर दुलार किया और आशीर्वाद दिया।

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिव्यचरित्र परंपरागत रही। बुधवार सांझाकाल शिववाताय गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने, अपने गुरुदेव ब्रह्मलोक महंत अवेदनाथ की समाधि 1 स्थल पर मध्या टेकने के बाद सीएम योगी मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गद्दी की गंगाला में पड़े। यहां उन्होंने गंगेश के बीच समथ विद्यालय और गंगेशा की। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के दौरान सीएम योगी जय भीम नारायण पर पहुंचे तो वहां बतवों का समूह विवरण कर रहा था। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बतवों खिलाकर बतवों को भी बरसाया।

अमर शहीद बन्धू सिंह की 193वीं जयंती आज

संवाददाता-गोरखपुर। बन्धू सिंह साहब समिति की ओर से 1 ई0 को सुबह 10 बजे 1987 की क्रांति के महानायक अमर शहीद बन्धू सिंह की 193वीं जयंती मनाई जाएगी। समिति के सचिव अजय कुमार सिंह 190 ने प्रेस विज्ञापन में बताया कि अलीनगर चौक स्थित अमर शहीद की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। बताया कि कार्यक्रम में शिक्षक, व्यापारी संगठन, अविकला बच्चे, विधार्थी, राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संस्थाओं के लोग शहीद बन्धू सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।

अदालती नोटिस

सम्मान वास्ते कायम मुकाम कानूनी मुद्राअदालत मुतबकका
(आर्डर 22 कायदा 4)
न्यायालय-श्रीमान वरुध अतिथि सिविल जज (जुडिओ) महोदय बस्ती जिला-बस्ती

मूलावाद सं-476/1993

राम सवाई आदि
बनाम
डिनकू आदि

3/1 सूच्यकाश 3/2 सुभाष चन्द्र 3/3 अरविन्द पुत्रराज फेरुल साकिनना नवागता तपा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला-बस्ती

तारीख पेशी 16-05-2025

हमारे न आपके नाम लिखा बावत के दायर की है। नालिहा आपका 22 माह 05 सन 2025 ई0 बवस्त 10 बजे दिन आसलतय या माफकत कबील के जो मुकदमा के हालत से करार वादवा फैकिक किया गया हो और जो कुछ उम्मीर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ता हो जो कि जबाब ऐसे सवालता का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपने इजहार के लिये मुकदमा है वारंती इन्फालिक्त कर्तुअ मुकदमा के तबीजिज हुई है कि बजाय उसके मुद्राअदालत बनाये जाय।

हमारे आपको हुमा होत है कि बतारीख 16 माह 05 सन 2025 ई0 बवस्त 10 बजे दिन अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैरे हाजिर आपके मससुआ और फैसला होगा।

बवस्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 30 माह 04 सन 2025 ई0 जारी किया गया।

दो हाकिम

10वीं में जाहन्नी 96.6 अंकों के साथ टॉपर

के साथ जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। जाहन्नी के पिता मुरली वर शुक्ला प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं।

12वीं (आर्यसंस्कृति) में बहिरा के अमरजभा निवासी मोहम्मद फैसल ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ जिला टॉपर बने। फैसल के पिता कपड़ा सिटार्ड हैं। काम कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर मोहम्मद आसना खान 95: अंकों के साथ रहे। तीसरा स्थान एलन टाम अजी ने 92.5 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त किया। 10वीं में आदित्य कुमार मिश्र 96.2 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

सुति अमरवाल ने 95.8 प्रतिशत के साथ तीसरा और आस्था सिंह ने 95.2 प्रतिशत के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। आर्याशी गुप्ता 95 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवां स्थान पर रहे। 12वीं में अजल कुमार गुप्ता और लता सिंह ने 91.75 प्रतिशत अंकों के साथ चौथा स्थान साझा किया।

वंदना प्रियदर्शिनी 91.5 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवां स्थान पर रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर जेम्स और अन्य शिक्षकों ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी।

अदालती नोटिस

प्रारूप 7
(देखे नियम-11 (1))
परलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना अदालत-श्रीमान जेओएम/ एफओ टीओ टीओ (सीओएडएडएम) महोदय

परियाद वाद सं-507/2023

थाना-वाट्टरगंज बस्ती

ज्योति कुमारी
बनाम
अजय आदि

1. अजय उग्र 31 साल पुत्र प्रहलाद 2. फूलमती देवी उग्र 55 साल पत्नी प्रहलाद 3. प्रहलाद उग्र 56 साल पुत्र अज्ञात 4. दीपक उग्र 27 साल पुत्र प्रहलाद साकिनना सनपुर उर्फ गडहवाड़ा थाना पुरानी बस्ती जिला-बस्ती

तारीख पेशी 03-06-2025

यात्री ने परलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का अधिनियम 43 के धारा- 12 के अधीन आदेश फाइल किया है / कि/ये। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोष) के लिये विरुद्ध प्रदान कर दिया गया व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्रतिकूल कार्रवाई के मात तारीख 03 माह 06 सन 2025 को 10:00 बजे में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमें असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

दो हाकिम

प्रबन्धक सम्पादक-दिनेश सिंह
सर्वेक्षण-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या-फज्जानावर कार्यालय-वत्तुकी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या-फज्जानावर लक्ष्मण कार्यालय-राजधानी चौक, एल.बी.ए. कालोनी, संकर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय-इलाहिगंगा गोरखपुर।
01094505675450 9336715406.
bhartiyabasti@gmail.com

सो रही महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने मचाया तांडव, पहले सटायी तमंचा फिर घर में की लूटपाट



संवाददाता-गोरखपुर। गंगा के असवनपार में मालवार की रात सो रही महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर में लूटपाट की। तमंचा सटाकर महिला से चाबी लेकर बदमाशों ने आलमारी और बक्से का ताला खोलकर जेवर व नकदी ले लिए। जाते समय महिला के हाथ और पैर को खोले दिए। बुधवार की सुबह एसपी गिरीश जितेंद्र कुमार के साथ मौके पर फ्रांसिस टािम के साथ पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गंगा के

मैंदवाल के नए प्रभारी एडीओ



संवाददाता-संतकबीरनगर। जिले के मंडेवाल विकासखंड के एडीओ महेंद्राशु प्रसादसिंह बदलाव हुआ है। विकासखंड के एडीओ पंचायत राजेश कुमार पांडे बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह पर जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार यादव ने 2017 बजे के

निजी कंपनी के मैनैजर के घर से साढ़े 5 लाख की चोरी में दम्पति गिरफ्तार

संवाददाता-अम्बेडकरनगर। निजी कंपनी में मैनैजर के घर से साढ़े 5 लाख की चोरी में पुलिस ने दम्पती को गिरफ्तार किया है। चोरी करने वाला पूर्व कर्मि ही निकला। पुलिस ने पड़ोस के बाबू दानी को न्यायालय भेज दिया। एसपी पंचमी विश्वास पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चिन्तीरा चौराहा फेकिलिया निवासी शशिकांत ओझा एक कंपनी में मैनैजर के पद पर कार्यरत हैं। बीते 27 अग्रेल को कंपनी का एक पूर्व कर्मगारी शिवविजय यादव पुत्र स्वप्न यादव निवासी आशी देवारा देवपुर का पूरा बाना राजकुलेश्वरपुर शशिकांत के घर आया। दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। रात करीब नौ बजे अचानक आशी तूफान अपने घर बिजली चली गई। घर पर शशिकांत छुट पर दहलते चले गए। जब वह कुछ देर बाद नीचे आए तो राखिजय वहां से जा चुका था। उन्हें लगा कि घर दह होने के चलते राखिजय चला गया होगा। इसके बाद वह भी कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब उन्होंने अपना बैग चेक किया तो उसमें रखा 5 लाख 50 हजार रुपये गायब था। वह देख उठे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पर किसी अन्य सदस्य के न होने

पंचायत को अभिनव रवि वस्त

ग्राम पंचायत अधिकारी अभिनव रवि वस्त को मंडेवाल विकासखंड का प्रभारी एडीओ पंचायत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। अभिनव रवि वस्त अपन कर्मचारी और निर्णायक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उन्हें विभाग और जिलाधिकारी की ओर से कई पुरस्कार मिल चुके हैं। हाल ही में कबीर महोत्सव के दौरान उन्होंने मंत्र संचालन की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद अभिनव रवि वस्त ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य शासन की प्रथमिकाओं और योजनाओं को गांव तक पहुंचाना है। जिसे सम्यक अनुदेश लिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी साराजन प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे स्वयं प्रमाण का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संज्ञात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर परत वातादी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंज्ञात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी उपस्थिति में किया जाएगा।

यह आज तारीख मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

तारीख पेशी 20-05-2025

प्रतिवादी ने आपकी विरुद्ध के लिये वाद स्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 20-05-2025 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञा (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा उप संज्ञात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश लिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी साराजन प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे स्वयं प्रमाण का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संज्ञात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर परत वातादी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंज्ञात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी उपस्थिति में किया जाएगा।

यह आज तारीख मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश